प्रेस नोट– जनपद मुजफ्फरनगर
दिनांक–24.08.2025

- **थाना खतौली पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार–**

दिनांक 24.08.2025 को थाना खतौली पर नियुक्त उ0नि0 श्री विनय शर्मा, उ0नि0 श्री नन्द किशोर मय हमराहीगण द्वारा 1. वाद संख्या 2958/02 धारा 452,323,504,506 भादवि में वारण्टी अभियुक्त सरवर पुत्र रामदास निवासी नवीनगर खतौली, मुजफ्फरनगर 2. वाद संख्या 8139/17 धारा 279,337,338 भादवि में वारण्टी अभियुक्त दिनेश पुत्र पवन निवासी भैसी थाना खतौली, मुजफ्फरनगर व 3. वाद संख्या 237/09 धारा 452,323,504,506 भादवि में सोनी पुत्र मलखान निवासी तिगाई थाना खतौली, मुजफ्फरनगर को अभियुक्तगण के मस्कनों से गिरफ्तार किया गया।

- **थाना छपार पुलिस द्वारा 06 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार–**

दिनांक 24.08.2025 को थाना छपार पर नियुक्त उ0नि0 श्री दीपक कुमार, उ0नि0 श्री राहुल वर्मा, उ0नि0 श्री राहुल वर्मा मय हमराहीगण द्वारा 1. नरेश पुत्र जयचन्द निवासी रामनगर बरला थाना छपार, मुजफ्फरनगर उम्र करीब 35 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या 556/20 मु0अ0सं0 190/19 धारा 135 विधुत अधिनियम 2. गुलजार पुत्र हसन निवासी ग्राम सिसोना थाना छपार, मुजफ्फरनगर उम्र करीब 32 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या 2096/23/9 मु0अ0सं0 429/22 धारा 323/506 भादवि 3. सचिन उर्फ घमण्डी पुत्र योगेन्द्र निवासी मौ0 रामबिहार शिवचौक छपार, मुजफ्फरनगर उम्र करीब 29 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या 3925/18/9 मु0अ0सं0 492/2017 धारा 380 भादवि 4. आजाद पुत्र मसौदी निवासी ग्राम सिम्भालकी थाना छपार, मुजफ्फरनगर सम्बन्धित वाद संख्या 3469/9/15 धारा 380 भादवि 5. गुलजार पुत्र शौकत निवासी ग्राम तेजलहेडा थाना छपार, मुजफ्फरनगर उम्र करीब 32 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या 32828/9/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट 6. तैय्यब पुत्र इरफान निवासी ग्राम भैंसरहेडी थाना छपार, मुजफ्फरनगर उम्र करीब 50 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या 197/9/15 धारा 10 यूपी गु0 अधिनियम को अभियुक्तगण के मस्कनों से गिरफ्तार किया गया।

- **<u>थाना जानसठ पुलिस द्वारा 06 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार–</u>**

  दिनांक 24.08.2025 को थाना जानसठ पर नियुक्त उ0नि0 श्री पंकज शर्मा, उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार, उ0नि0 श्री धर्मवीर कर्दम व उ0नि0 श्री दीपक शर्मा मय हमराहीगण द्वारा 1. परिवाद संख्या 07/9/18 में वारण्टी अभियुक्त फुरकान पुत्र शमशु निवासी ग्राम अखलाकपुर थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर 2. वाद संख्या 404/2016 धारा 3/7 ईसी एक्ट में वारण्टी अभियुक्त इशतकार पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम पिमौडा थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर व 3. वाद संख्या 2892/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त राहुल पुत्र शौराज निवासी ग्राम राजपुर कला थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर 4. वाद संख्या 2119/2024 धारा 323,506 भादवि में वारण्टी अभियुक्त सेानू पुत्र मुन्तयाज निवासी ग्राम चित्तौडा थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर 5. वाद संख्या 13758/17 धारा 379,411 भादवि में वारण्टी अभियुक्त साजिद पुत्र वहीद निवासी कस्बा व थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर व 6. वाद संख्या 2669/18 धारा 138 विधुत अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त जितेश पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर को अभियुक्तगण के मस्कनों से गिरफ्तार किया गया।

- **<u>थाना चरथावल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–</u>**

  दिनांक 24.08.2025 को थाना चरथावल पर नियुक्त उ0नि0 श्री तेजवीर सिंह मय हमराहीगण द्वारा वाद संख्या 1245/08 धारा 406 भादवि में वारण्टी अभियुक्त निसार पुत्र कमरूद्दीन निवासी मौ0 मुर्दापट्टी कस्बा व थाना चरथावल, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

- **<u>थाना खालापार पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार–</u>**

  दिनांक 24.08.2025 को थाना खालापार पर नियुक्त उ0नि0 श्री लौकेश कुमार गौतम, उ0नि0 श्री विकास सिंघल मय हमराहीगण द्वारा 1. वाद संख्या 4512/09/08 धारा 292,293 भादवि में वारण्टी अभियुक्त जब्बार पुत्र समीर अहमद निवासी खालापार थाना खालापार, मुजफ्फरनगर व 2. वाद संख्या 1452/09/05 धारा 147,342,283,109 भादवि में वारण्टी अभियुक्त मेहन्दी पुत्र जमशेद निवासी खालसा पट्टी थाना खालापार, मुजफ्फरनगर को अभियुक्तगणों के मसकनों से गिरफ्तार किया गया।

- **<u>थाना खालापार पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार–</u>**

  दिनांक 24.08.2025 को थाना खालापार पर नियुक्त उ0नि0 श्री लौकेश कुमार गौतम, उ0नि0 श्री विकास सिंघल मय हमराहीगण द्वारा 1. वाद संख्या 4512/09/08 धारा 292,293 भादवि में वारण्टी अभियुक्त जब्बार पुत्र समीर अहमद निवासी खालापार थाना खालापार, मुजफ्फरनगर व 2. वाद संख्या 1452/09/05 धारा 147,342,283,109 भादवि में वारण्टी अभियुक्त मेहन्दी पुत्र जमशेद निवासी खालसा पट्टी थाना खालापार, मुजफ्फरनगर को अभियुक्तगणों के मसकनों से गिरफ्तार किया गया।

- **थाना खालापार पुलिस द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट करने के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार–**

  दिनांक 24.08.2025 को थाना खालापार पर नियुक्त उ0नि0 श्री राकेश कुमार मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0 150/25 धारा 191(2),115(2),125,352,351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1. आसु उर्फ आस मौहम्मद व 2. सोनू पुत्र शमशाद निवासीगण एटूजेड रोड मौहल्ला किदवईनगर थाना खालापार, मुजफ्फरनगर को मौहल्ला किदवई नगर से गिरफ्तार किया गया।

- **<u>थाना रामराज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–</u>**

  दिनांक 24.08.2025 को थाना रामराज पर नियुक्त उ0नि0 श्री हर्षित शर्मा मय हमराहीगण द्वारा वाद संख्या 2042/18 धारा 323,506 भादवि में वारण्टी अभियुक्त इलमचन्द पुत्र बिशम्भर निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना रामराज, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

- **<u>थाना शाहपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–</u>**

  दिनांक 24.08.2025 को थाना शाहपुर पर नियुक्त उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार शर्मा मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0 242/25 धारा 331(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त सोनू उर्फ मेहरदीन पुत्र यामीन निवासी ग्राम हरसौली थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर को मंसूरपुर तिराहा कस्बा शाहपुर से गिरफ्तार किया गया।

- **<u>थाना शाहपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–</u>**

  दिनांक 24.08.2025 को थाना शाहपुर पर नियुक्त उ0नि0 श्री मोहित कुमार मय हमराहीगण द्वारा वाद संख्या 10/2023 धारा 323,354,504,506 भादवि व 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट में वारण्टी अभियुक्त अनुज पुत्र हरवीर निवासी ग्राम गोयला थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

- **<u>थाना तितावी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित व 15 हजार रूप्य के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार–</u>**

  दिनांक 24.08.2025 को थाना तितावी पर नियुक्त उ0नि0 श्री रोहित कुमार मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0 283/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित व 15 हजार रूप्ये के इनामी अभियुक्त फिरोज पुत्र इस्तयाक मौहम्मद निवासी सब्जी मण्डी बीकम सिंह कालोनी फर्श बाजार शाहदरा दिल्ली को बंगाली कालोनी सोभा वंशल के सामने थाना व्हाइट फिल्ड बैंगलूर कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना तितावी पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **झूठा अभियोग दर्ज कराने पर थाना मीरापुर पुलिस की निष्पक्ष विवेचना से शिकंजे में कसा वादी/गिरफ्तार।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, मेरठ जोन मेरठ एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय, सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के निर्देशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद मुजफ्फनगर श्री संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री आदित्य बंसल, क्षेत्राधिकारी जानसठ एवं थाना प्रभारी मीरापुर के कुशल नेतृत्व में थाना मीरापुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 02.04.2025 को चंडीगढ में टाटा कम्पनी में कार्य करने वाले वादी अमित झा पुत्र शम्भूनाथ निवासी सिघिया थाना विसफी जनपद मधुबनी, बिहार हाल पता Soc-130/131 sec.-34a चण्डीगढ द्वारा रोहताश पुत्र मेघकाज नि0 हनुमानपुरी कैथोडा थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध नकली टाटा चाय के पैकटों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में थाना मीरापुर पर मु0अ0सं0 57/25 धारा 63 कॉपीराइट एक्ट पंजीकृत कराया गया। थाना मीरापुर पुलिस द्वारा रोहताश उपरोक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र तैयार किया गया। प्रभारी निरीक्षक मीरापुर द्वारा

आरोप पत्र रोककर पुनः निष्पक्ष विवेचना एवं सुसंगत साक्ष्य एकत्र करने हेतु थाना मीरापुर पुलिस/विवेचक को निर्देशित किया गया। विवेचना के क्रम मे सीसीटीवी फुटेज व सीडीआर के माध्यम से जानकारी हुई कि वादी मुकदमा अमित झा द्वारा ही नामित रोहताश उपरोक्त को नकली टाटा चाय के रैपरो को सील करने हेतु दिया गया था। अभियोग में नामित आरोपी रोहताश की नामजदगी गलत पायी गयी तथा वादी मुकदमा अमित झा पुत्र शम्भूनाथ उपरोक्त का नाम प्रकाश मे आया तथा मुकदमा उपरोक्त मे धारा 318(2)/336(4)/340(2)/212(क) बीएनएस की वृद्धि की गयी। आज दिनाक 24.08.25 को अभियुक्त अमित झा पुत्र शम्भूनाथ उपरोक्त को थाना मीरापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना मीरापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1. अमित झा पुत्र शम्भूनाथ नि0 ,सिघिया थाना विसफी जनपद मधुबनी जनपद बिहार हाल पता Soc-130/131 sec.-34a चण्डीगढ उम्र लगभग 29 वर्ष

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त अमित झा द्वारा बताया गया कि वह टाटा कम्पनी चंडीगढ में कार्य करता है। कम्पनी द्वारा फर्जी तरीके से नकली उत्पादों को तैयार कर आर्थिक नुकसान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने पर अच्छी रकम ईनाम के रुप में दी जाती है। इसी लालच में मेरे द्वारा एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी तरफ से ही चाय के पैकटो को सील करने के लिए दिया गया था तथा इसके उपरान्त मैने पुलिस को सूचना देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 श्री महेन्द्र गौतम थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर।

2. का0 787 मोहित थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर।